पुनरीक्षण अपराधी

न्यायामूर्ति शमशेर बहादुर

से पहले जे. के समक्ष -

दलीप,-

याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य और

अन्य,-उत्तरदाताओं

आपराधिक पुनरीक्षण

संख्या, 1967 का 93

20 अप्रैल, 1967

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम 5) – धारा 173 और 207-ए – जांच अधिकारी की रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि कुछ आरोपियों ने अपराध में भाग नहीं लिया था – उन आरोपियों को – क्या धारा 173(3) के तहत बरी किया जाए,

माना गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उप-धारा (3) के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया डिस्चार्ज धारा 207-ए की उप-धारा (6) के तहत अलग और अलग है। धारा 207-ए के प्रावधानों का सहारा तब लिया जाता है जब वास्तव में किसी न्यायालय द्वारा जांच शुरू की जानी हो, जिसके समक्ष पुलिस की रिपोर्ट हो कि आरोपी व्यक्तियों के साथ कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए। अगर पुलिस की खुद की राय है कि किसी आरोपी या कुछ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई मामला नहीं है, तो जांच की कोई गुंजाइश नहीं है और धारा 173 की उप-धारा (3) के प्रावधान तुरंत आकर्षित होंगे। धारा के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां जांच अधिकारी ने आरोपी की बेगुनाही के बारे में अपनी राय दर्ज की है, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाना है और

मजिस्ट्रेट को केवल धारा की उप-धारा (3) के तहत आरोपमुक्त करना है। 173. यह तभी होता है जब धारा 173 की उपधारा (1) के तहत पुलिस रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ मामले का खुलासा करती है कि एक मजिस्ट्रेट को संहिता के अध्याय XVIII के तहत जांच करनी होती है और यह मजिस्ट्रेट को देखना होगा कि सबूत हैं या नहीं अभियुक्त को आरोपमुक्त करना उचित नहीं है।

सीआरपीसी की धारा 439 के तहत याचिका. श्री जी, एस. तिवाना, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला, दिनांक 25 जनवरी, 1967 के आदेश में संशोधन के लिए पी.सी., जिसमें श्री दीपिंदर सिंह कपूर, जे.एम.आई.सी., अंबाला द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 1966 को आरोपियों को आरोपमुक्त करने के आदेश की पुष्टि की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ए.एस. आनंद के साथ हर पार्षद।

प्रतिवादी की ओर से बी. एस. जी उप्टा, एच. एल. सिब्बल, और एस. एस. कांग, अधिवक्ता

निर्णय

शमशेर बहादुर जे.- पुनरीक्षण के लिए इस याचिका में निर्णय इस सवाल पर आधारित है कि क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबाला द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उप-धारा (3) या धारा 207-ए की उप-धारा (6) के तहत पारित आदेश पारित किया गया था। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207-ए?

5 जुलाई, 1966 को सुरता सिंह की हत्या करने के आरोप में चार व्यक्तियों, जय सिंह, जरनैल सिंह, केहर सिंह और अजमेर सिंह के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सुरता के भतीजे दलीप द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार सिंह के अनुसार, इस घटना को उन्होंने और उनके पिता ने देखा था। मामले की जांच पुलिस द्वारा की गई और जो चालान मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित चार व्यक्तियों में से जय सिंह और जरनैल सिंह का उल्लेख कॉलम 2 में ऐसे व्यक्तियों के रूप में किया गया था जिन्हें गिरफ्तार किया गया था लेकिन जिनके खिलाफ चालान किया गया था। कोर्ट में नहीं रखा जा रहा था. चालान में उल्लिखित मामले के बयान के अनुसार, जय

सिंह और जरनैल सिंह ने अपराध में भाग नहीं लिया था और यह उल्लेख किया गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। हालाँकि, यह उल्लेख किया गया था कि केहर सिंह और अजमेर सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए।

मजिस्ट्रेट, श्री डी.एस. कपूर, जिनके समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया था, ने एक आदेश पारित किया जिसे पूर्ण रूप से दोबारा प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि विद्वान वकील द्वारा संबोधित अधिकांश तर्क इसके अभिप्राय और अर्थ पर आधारित है: -

केहर सिंह, अजमेर सिंह, जय सिंह और जरनैल सिंह को हिरासत में पेश करें। पुलिस ने केहर सिंह और अजमेर सिंह के खिलाफ ही चालान भेजा है। मैंने धारा 173, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रिपोर्ट और फ़ाइल के अन्य दस्तावेज़ों का अध्ययन किया है। चूंकि आरोपी जय सिंह और जरनैल सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं पाया गया, इसलिए उन्हें आरोपमुक्त किया जाता है। यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाता है। अन्य दो आरोपियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रतियां प्रदान की गई हैं। 27 अक्टूबर 1966 को प्रतिबद्धता कार्यवाही के लिए साक्ष्य।

17 अक्टूबर, 1966.

(एसडी.) डी. एस. कपूर, जे.एम.आई.सी., अम्बाला शहर

यह शिकायतकर्ता का मामला रहा है, वह मजिस्ट्रेट है? पहले साक्ष्य दर्ज किए बिना और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207-ए के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किए बिना जय सिंघी और जरनैल सिंह को आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता था। तदनुसार, शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार जय सिंह और जरनैल सिंह के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश देने के लिए सत्र न्यायाधीश, अंबाला से अपील की।23 जनवरी, 1967 को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला द्वारा याचिका खारिज कर दी गई, शिकायतकर्ता ने इसके खिलाफ पुनरीक्षण कार्यवाही में इस न्यायालय का रुख किया।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता का भाग V "पुलिस को सूचना और जांच करने की उनकी शक्तियों" से संबंधित है और धारा 154 से 176 इस भाग के अध्याय XIV में शामिल हैं। धारा 169 उस स्थिति से

संबंधित है जहां एक आरोपी व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है जब उसके खिलाफ सबूत कम हों, और इन शब्दों में सन्निहित है: -

अगर इस अध्याय के तहत जांच करने पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास भेजने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, जैसे अधिकारी, यदि ऐसा व्यक्ति हिरासत में है, तो उसे जमानतदारों के साथ या उसके बिना, जैसा कि अधिकारी निर्देश दे सकता है, एक बांड निष्पादित करने पर रिहा कर देगा, यदि और जब आवश्यक हो, एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए जो अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। पुलिस रिपोर्ट करेगी और अभियुक्त पर मुक़दमा चलायेगी या उसे मुक़दमे के लिए प्रतिबद्ध करेगी।"

हालांकि जांच अधिकारी ने उल्लेख किया कि जय सिंह और जरनैल सिंह निर्दोष प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें धारा 169 के अनुसार जमानत पर रिहा नहीं किया गया था। धारा 173 पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट से संबंधित है; जबकि इस धारा की उपधारा (1) एक निर्धारित प्रपत्र में पुलिस रिपोर्ट की सामग्री से संबंधित है जिसमें पार्टियों के नाम और सूचना की प्रकृति और उन व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं जो परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं। इस मामले में; और यह बताते हुए कि क्या आरोपी (यदि गिरफ्तार किया गया है) को हिरासत में भेज दिया गया है या उसके बांड पर रिहा कर दिया गया है, उप-धारा (3) कहती है कि: -

" जब भी इस धारा के तहत अग्रेषित किसी रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बांड पर रिहा कर दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे बांड के निर्वहन के लिए ऐसा आदेश देगा या अन्यथा जैसा वह उचित समझेगा।

याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता के विद्वान वकील श्री हर पार्षद का कहना है कि जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी गई थी, उन्हें जय सिंह और जरनैल सिंह को आरोप मुक्त करने का अधिकार नहीं था क्योंकि उन्हें वास्तव में जांच अधिकारी द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया गया था। धारा 169 के तहत। यह निर्विवाद है कि उप-धारा (1) के तहत मजिस्ट्रेट को सौंपी गई पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट में, जय सिंह और जरनैल सिंह का उल्लेख उन व्यक्तियों के रूप में किया गया है जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और जिन्हें पुलिस ने माना था।मासूम। इसमें फिर कोई संदेह नहीं है कि ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी का वैधानिक कर्तव्य था कि वह धारा 169 के तहत बांड भरने के बाद इन व्यक्तियों

को रिहा कर दे। मजिस्ट्रेट को धारा 173 की उपधारा (3) के तहत क्या करना आवश्यक था पुलिस द्वारा उन्हें रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद संहिता में जय सिंह और जरनैल सिंह को आरोपमुक्त करने का प्रावधान था, जो उन्होंने वास्तव में आक्षेपित आदेश में किया है। श्री हर पार्षद के अनुसार, मजिस्ट्रेट केवल तभी मुक्ति का आदेश पारित कर सकता था यदि जय सिंह और जरनैल सिंह को वास्तव में जमानत पर रिहा कर दिया गया होता। जय सिंह और जरनैल सिंह को जमानत-मुचलके पर रिहा करने में पुलिस अधिकारी की चूक से आरोपियों को राहत तो मिल सकती है, लेकिन शिकायतकर्ता को उन्हें और परेशान करने का मौका नहीं मिल सकता है। विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि – जय सिंह और जरनैल सिंह को पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया गया था, मजिस्ट्रेट को धारा 173 की उप-धारा (3) के तहत उन्हें रिहा करने के बजाय उप-धारा (6) के तहत आगे बढ़ना चाहिए था।) धारा 207-ए. अब, धारा 207-ए अध्याय XVIII का एक हिस्सा है, जो 'सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों की जांच' से संबंधित है। इसके प्रासंगिक प्रावधान ये हैं:-

207-ए. (1) जब, पुलिस रिपोर्ट पर शुरू की गई किसी कार्यवाही में, मजिस्ट्रेट को धारा 173 के तहत अग्रेषित रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो वह इस धारा के तहत जांच करने के उद्देश्य से एक तारीख तय करेगा।

(2)

(3) जांच के प्रारंभ में, मजिस्ट्रेट, जब अभियुक्त उसके समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है। स्वयं को संतुष्ट करें कि धारा 173 में निर्दिष्ट दस्तावेज़ अभियुक्त को उपलब्ध करा दिए गए हैं।

(4) इसके बाद मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों, यदि कोई हो, का साक्ष्य लेने के लिए आगे बढ़ेगा, जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा कथित अपराध के वास्तविक कमीशन के गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(5) जब उपधारा (4) में निर्दिष्ट साक्ष्य ले लिया गया हो और मजिस्ट्रेट ने धारा 173 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों पर विचार कर लिया हो और यदि आवश्यक हो, तो आरोपी की जांच कर ली हो ताकि वह मामले में सामने आने वाली किसी भी परिस्थिति को समझाने में सक्षम हो सके। उसके खिलाफ साक्ष्य और अभियोजन पक्ष तथा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया जाए, तो ऐसा मजिस्ट्रेट, यदि उसकी राय है कि ऐसे साक्ष्य और दस्तावेज अभियुक्त व्यक्ति को मुकदमा चलाने के लिए कोई आधार नहीं बताते हैं, तो उसके कारणों को दर्ज करेगा और उसे आरोपमुक्त करेगा, जब तक कि ऐसा न हो। मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति पर उसके या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिस स्थिति में वह तदनुसार आगे बढ़ेगा।

दूसरे शब्दों में, यह शिकायतकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि जय सिंह और जरनैल सिंह को आरोपमुक्त करने से पहले जांच की पूरी प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए था। जैसा कि स्पष्ट होगा, धारा 207-ए के प्रावधानों का सहारा तब लिया जाना चाहिए जब वास्तव में एक अदालत द्वारा जांच शुरू की जानी हो, जिसके सामने पुलिस की रिपोर्ट हो कि आरोपी व्यक्तियों के साथ कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए। अगर पुलिस की खुद की राय है कि किसी आरोपी या कुछ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई मामला नहीं है, तो जांच की कोई गुंजाइश नहीं है और धारा 173 की उप-धारा (3) के प्रावधान तुरंत आकर्षित होंगे। जिन धाराओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है, उन्हें पढ़ने से मुझे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां जांच अधिकारी ने आरोपी की बेगुनाही के बारे में अपनी राय दर्ज की है, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए और मजिस्ट्रेट को केवल उसे आरोपमुक्त करना होगा। धारा 173 की उपधारा (3)। यह तभी होता है जब धारा 173 की उपधारा (i) के तहत पुलिस रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ मामले का खुलासा करती है कि मजिस्ट्रेट को संहिता के अध्याय XVIII के तहत सजा देनी होती है और यह मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि क्या साक्ष्य आरोपी को आरोप मुक्त करने को उचित नहीं ठहराते हैं। वर्तमान मामले में जय सिंह और जरनैल सिंह का आरोपमुक्त होना धारा 173 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत आता प्रतीत होता है, न कि धारा 207-ए की उपधारा (6) के अंतर्गत। श्री हर पार्षद ने अइत कुमार पालित बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में सनरेम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। और दूसरा (1), इस प्रस्ताव के लिए कि जब न्यायालय ने किसी अपराध का संज्ञान लिया है, तो धारा 207-ए की उपधारा (6) के तहत मुक्ति होनी चाहिए। न्यायालय की ओर से बोलते हुए श्री न्यायमूर्ति अय्यंगार के अनुसार, 'संज्ञान' शब्द का आपराधिक कानून या प्रक्रिया में कोई गूढ़ या रहस्यमय महत्व नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि जब किसी न्यायालय या न्यायाधीश के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है तो इसके बारे में जागरूक हो जाना और न्यायिक रूप से नोटिस लेना। संज्ञान लेने में कोई औपचारिक कार्रवाई शामिल नहीं है; या वास्तव में किसी भी प्रकार की कार्रवाई, लेकिन तब होती है जब एक मजिस्ट्रेट, जैसे ही, किसी अपराध के संदिग्ध कमीशन पर अपना दिमाग लगाता है। जहां जहां क़ानून उन सामग्रियों को निर्धारित करता है जिन पर न्यायिक दिमाग किसी भी कदम उठाने से पहले काम करेगा, जाहिर तौर पर वैधानिक आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। मेरी राय में, धारा 173 की उपधारा (3) के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा मुक्ति धारा 207-ए की उपधारा (6) के तहत अलग और अलग है। जहां एक पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला नहीं है, मजिस्ट्रेट को केवल आरोपी की रिहाई और आरोपमुक्त करने के आदेश की पुष्टि करनी होती है। ऐसा तभी होता है जब अध्याय XYIII के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट पर जांच की जा रही हो, एक मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने और रिकॉर्ड किए गए सबूतों और दस्तावेजों की जांच के बाद आरोपी व्यक्ति के आरोपमुक्त करने के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहा जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत किया गया।

मेरी राय में, इस पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं है जो विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

नागरिक विविध

आर.एस. नरूला से पहले, /.

लछमन

और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

कार्यकारी अभियंता,

सिरसा, और अन्य, - प्रतिवादी।

1963 की सिविल रिट

संख्या

27 अप्रैल, 1967.

उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम (1873 का आठवां) – धारा 33, 35 और 69 – उत्तरी भारत नहर और जल निकासी नियम (1873) – नियम 32 – किसी व्यक्ति के दायित्व को तय करने के लिए जांच – की प्रकृति – ऐसी जांच – क्या अनिवार्य है और इसे स्वयं डिविजनल कैबल अधिकारी द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए – जिन मामलों पर जांच के परिणामस्वरूप निष्कर्ष दर्ज किए जाने हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा